

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—88/2019 (2019/00215) वादपत्र

अनवान

1. गंगाराम पिता चतरभुज जाट निवासी सगरेव, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. धुकल पिता चत्रभुज जाट निवासी नयाखेड़ा (सगरेव) तहसील रायपुर मृतक के बजाय 1/1. नानुराम पिता धुकल जाट निवासी नयाखेड़ा (सगरेव) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. सुखीदेवी पत्नि नानुराम जाट निवासी नयाखेड़ा (सगरेव) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा जरिये शाखा प्रबन्धक
4. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा जरिये शाखा प्रबन्धक
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1. फारूख मोहम्मद —

अधिवक्ता वादी

2. हरिश टेलर —

अधिवक्ता प्रतिवादी 2

निर्णय

दिनांक 09.11.2021

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पुर्व आदेश दिनांक 05.10.2021 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम नयाखेड़ा जाटान पटवार हल्का सगरेव तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के संयुक्त खातेदारी कृषि एवं संयुक्त कब्जे काश्त आराजियात संख्या 4244 रकबा 0.06 है0, आराजी संख्या 4245 रकबा 0.01 है0 गे.मु.आ.चा., आराजी संख्या 4246 रकबा 1.11 है0, आराजी संख्या 4247 रकबा 0.97 है0, आराजी संख्या 4248 रकबा 0.21 है0, आराजी संख्या 4249 रकबा 0.09 है0, आराजी संख्या 4265 रकबा 0.23 है0, आराजी संख्या 4266 रकबा 0.25 है0, आराजी संख्या 4268 रकबा 0.52 है0, आराजी संख्या 4269 रकबा 0.58 है0, आराजी संख्या 4272 रकबा 0.35 है0, आराजी संख्या 4273 रकबा 0.79 है0, आराजी संख्या 4274 रकबा 1.42 है0, आराजी संख्या 4275 रकबा 0.03 है0 गे.मु.आ.चा., आराजी संख्या 4280 रकबा 0.17 है0 कुल कित्ता 15 कुल रकबा 6.79 है0 भूमि में आराजी चाह संख्या 4245, 4275 को शामलाती रखते हुए शेष आराजियात में से वादी का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का संयुक्त रूप से 2/3 हिस्से का मौके पर कब्जे एवं हिस्से को ध्यान में रखते हुए बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।




तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 22.10.2021 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और उभयपक्ष अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन कराया जिस पर उभयपक्ष अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। उपरोक्त विवरण अनुसार प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम नयाखेड़ा जाटान तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी में प्रस्तावित आराजी संख्या 4247 रकबा 0.97 है०, आराजी संख्या 4248 रकबा 0.21 है०, आराजी संख्या 4249 रकबा 0.09 है०, आराजी संख्या 4266 रकबा 0.25 है०, आराजी संख्या 4269 रकबा 0.58 है०, आराजी संख्या 4280 रकबा 0.17 है०, कुल कित्ता 6 कुल रकबा 2.27 है० भूमि गंगाराम पिता चत्रभुज जाट सा.देह खातेदार रहन बीओबी रायपुर तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 4244 रकबा 0.06 है०, आराजी संख्या 4246 रकबा 1.11 है०, आराजी संख्या 4265 रकबा 0.23 है०, आराजी संख्या 4268 रकबा 0.52 है०, आराजी संख्या 4272 रकबा 0.35 है०, आराजी संख्या 4273 रकबा 0.79 है०, आराजी संख्या 4274 रकबा 1.42 है० कुल कित्ता 7 कुल रकबा 4.48 है० भूमि नानूराम पिता धूकल 1/2 सूखीदेवी पत्नि नानूराम 1/2 जाट सा. देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 4245 रकबा 0.01 है० गे.मु.आ.चा., आराजी संख्या 4275 रकबा 0.03 है० गे.मु.आ.चा. कुल कित्ता 2 कुल रकबा 0.04 है० शामिल रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 09.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




09.11.2021
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक क्लर्क (जम्बोडा अधिकारी)
रायपुर जिला कीर्तवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—88/2019 (2019/00215) वादपत्र

अनवान

1. गंगाराम पिता चतरभुज जाट निवासी सगरेव, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. धुकल पिता चत्रभुज जाट निवासी नयाखेड़ा (सगरेव) तहसील रायपुर मृतक के बजाय 1/1. नानुराम पिता धुकल जाट निवासी नयाखेड़ा (सगरेव) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. सुखीदेवी पत्नि नानुराम जाट निवासी नयाखेड़ा (सगरेव) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा जरिये शाखा प्रबन्धक
4. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा जरिये शाखा प्रबन्धक
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा


प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष मे विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम नयाखेड़ा जाटान तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे प्रस्तावित आराजी संख्या 4247 रकबा 0.97 है0, आराजी संख्या 4248 रकबा 0.21 है0, आराजी संख्या 4249 रकबा 0.09 है0, आराजी संख्या 4266 रकबा 0.25 है0, आराजी संख्या 4269 रकबा 0.58 है0, आराजी संख्या 4280 रकबा 0.17 है0, कुल किता 6 कुल रकबा 2.27 है0 भूमि गंगाराम पिता चत्रभुज जाट सा.देह खातेदार रहन बीओबी रायपुर तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 4244 रकबा 0.06 है0, आराजी संख्या 4246 रकबा 1.11 है0, आराजी संख्या 4265 रकबा 0.23 है0, आराजी संख्या 4268 रकबा 0.52 है0, आराजी संख्या 4272 रकबा 0.35 है0, आराजी संख्या 4273 रकबा 0.79 है0, आराजी संख्या 4274 रकबा 1.42 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 4.48 है0 भूमि नानुराम पिता धुकल 1/2 सुखीदेवी पत्नि नानुराम 1/2 जाट सा. देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 4245 रकबा 0.01 है0 गै.मु.आ.चा., आराजी संख्या 4275 रकबा 0.03 है0 गै.मु.आ.चा. कुल किता 2 कुल रकबा 0.04 है0 शामिल रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 09.11.2021 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।




09.11.2021
(सुन्दरलाल बम्बोडा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा